

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 23 / 2020 (2020 / 00059)

अनवान

1. शांतिलाल पिता गणेशलाल सुनार नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौड़गढ़ हाल खातरमहल के पास उपरला पाडा चित्तौड़गढ़ तह.व जिला चित्तौड़गढ़

—वादी

बनाम

1. अम्बालाल पिता गणेशलाल सुनार नि.घटियावली हाल गांधीनगर सेक्टर नम्बर 1 मकान संख्या 117, चित्तौड़गढ़ तह.व जिला चित्तौड़गढ़
2. यशोदा पत्नी रामेश्वरलाल सुनार नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौड़गढ़
(नाम तर्क दिनांक 13.05.2024)
3. सुरेश पिता रामेश्वरलाल सुनार नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौड़गढ़
4. चन्दाबाई पत्नी अनिलकुमार सुनार नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौड़गढ़
5. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तह.व जिला चित्तौड़गढ़

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

उपस्थिति : वादी स्वयं

श्री खुमराज कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01

श्री बगदीराम धाकड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02

निर्णय

दिनांक 06-04-26



संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए. को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम घटियावली पटवार हल्का घटियावली के आराजी नम्बर 3430/1895 रकबा 0.12 हे. स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादीगण का जमाबन्दी मे अंकन अनुसार हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजीयात का आपसी बटवाडा नही होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस हेतू वादी ने पांति बटवाडा के यह वाद पत्र पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 19.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (रख.)



शान्तिलाल चित्तौडगढ से पत्रांक/राज/2025/1614 दिनांक 13.10.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। दौराने सुनवाई दिनांक 04.11.2025 को प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 151, 152 एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् कमिश्नर रिपोर्ट पर एतराज प्रस्तुत किए जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है। इसी तरह दिनांक 13.01.26 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना बाबत् शीघ्र सुनावार्ई कर अन्तिम डिग्री पारित करने एवं दिनांक 12.02.2026 प्रार्थना पत्र बाबत् 12 आरी भूमि की मौका रिपोर्ट दिलाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जो सलग्न पत्रावली होकर रेकार्ड पर है। बहस उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2025 , 13.01.2026 , 12.02.2026 पर सुनी गई। उक्त तीनों प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किए जाते है। दौराने सुनवाई तहसील से पत्रांक/राज/2026/480 दिनांक 02.04.2026 से पूर्व मे प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मे आराजी नं संशोधन करने के संबंध मे प्राप्त हुआ जो सलग्न पत्रावली होकर रेकार्ड पर है। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर योग्य निर्णय के आधार पर वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम घटियावली पटवार हल्का घटियावली तहसील चित्तौडगढ के वर्णित आराजी 3430/1895 रकबा 0.12 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिग्री किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	लगान
1.	शान्तिलाल पुत्र गणेश सुनार सा देह खातेदार	3430/1895/1 दक्षिणी भाग	0.04	0.12
	कुल कित्ता	01	0.04	0.12
2.	अम्बालाल पुत्र गणेश 1/2 सुनार चन्दाबाई पत्नी अनिल कुमार 1/6 यशोदा पत्नी रामेश्वर लाल 1/6 सुरेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल 1/6 जाति सुनार सा.देह खातेदार	3430/1895/2 उत्तरी भाग	0.08	0.24
	कुल कित्ता	01	0.08	0.24

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। डिग्री मुर्तिब हो। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिग्री का पार्ट रहेगा। निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(दिनेश देवरा)
सहायक-दफ्तर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (उख.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री बीनू देवल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ

1. शांतिलाल पिता गणेशलाल सुनार नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ हाल खातरमहल के पास उपरला पाडा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. अम्बालाल पिता गणेशलाल सुनार नि.घटियावली हाल गांधीनगर सेक्टर नम्बर 1 मकान संख्या 117, चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. यशोदा पत्नी रामेश्वरलाल सुनार नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
(नाम तर्क दिनांक 13.05.2024)
3. सुरेश पिता रामेश्वरलाल सुनार नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
4. चन्दाबाई पत्नी अनिलकुमार सुनार नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
5. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : 23/2020 (2020/00059)

वादी स्वयं की एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता खुमराज कुमावत , प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्त बगदीराम धाकड की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम घटियावली पटवार हल्का घटियावली तहसील चित्तौडगढ के वर्णित आराजी 3430/1895 रकबा 0.12 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	लगान
1.	शान्तिलाल पुत्र गणेश सुनार सा देह खातेदार	3430/1895/1 दक्षिणी भाग	0.04	0.12
	कुल किता	01	0.04	0.12



(सि. देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (रज.)



अम्बालाल पुत्र गणेश 1/2 सुनार चन्दाबाई पत्नी अनिल कुमार 1/6 यशोदा पत्नी रामेश्वर लाल 1/6 सुरेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल 1/6 जाति सुनार सा.देह खातेदार	3430/1895/2 उत्तरी भाग	0.08	0.24
कुल कित्ता	01	0.08	0.24

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

यह आज दिनांक 06/04/20 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(बि. दे. दे. दे.)
सहायक कमिश्नर एवं
इपरगण्ड अधिकारी
दिल्ली (बि. दे. दे.)